

प्रसार भारती  
भारत का लोक सेवा प्रसारक  
एच.पी.टी. आकाशवाणी  
मलाड (प) मुंबई - 95

स- एचपीटी मलाड / 29(2)/2023-24/जी /

दि.- 22/11/2023

## टेंडर नोटिस

उपनिदेशक अभियांत्रिकी कार्यालय एचपीटी आकाशवाणी, मालवणी मार्व रोड, मलाड (प) मुंबई-95 के परिसर में जोखिम (प्रेषित तथा फीडर लाइन परिसर) जगह के अलावा लगभग दो सौ एकर क्षेत्रफल का घास कटौती / निलामी हेतु उच्च श्रेणी के बोली लगानेवाले निविदाकारों से मोहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जा रहा है। घास कटौती नियत अवधि दि. 01/12/2023 से 30/11/2024 तक ही सीमित रहेगी। इससे अधिक अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। घास कटौती / खरीदी के लिए इच्छुक निविदाकारों से मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जा रहा है।

निविदा के साथ निविदाकारों को रु 3000/- तीन हजार रुपये केवल की धनराशि बयाना के रूप में जमा करनी होगी। अथवा रु 3000/- का मांग मसौदा प्रसार भारती डीडीओ, प्रसारण गृह आकाशवाणी मुंबई (Prasar Bharati, DDO, Broadcasting House, Akashvani Mumbai ) के नाम से भेजना होगा। बयाना की राशि उन सभी निविदाकार को लौटा दी जाएगी जिनकी निविदा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अस्विकृत किया हो। कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30/11/2023 दोपहर 12:00 बजे तक है और दि 30/11/2023 को 13.00 बजे उपस्थित होने इच्छुक उन निविदाकारों की उपस्थिति में टेंडर खोला जाएगा।

सीमा

श्रीनिवास वालुंजकर

सहानिदेशक(अभियांत्रिकी)

कृते उपनिदेशक (अभियांत्रिकी)

एच.पी.टी. आकाशवाणी

निबंधन तथा शर्तें

दि. 30/11/2024 के पूर्व घास काटकर एचपीटी आकाशवाणी मलाड (प) परिसर से बाहर निकालना और घास कटाई अवधि समाप्ति के पश्चात किसी भी व्यक्ति को घास काटने या निकालने हेतु आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

1. ठेकेदार इस बात का ध्यान रखें कि घास कटौती के समय जंगली घास अथवा किसी भी प्रकार का घास अधकटा न छोड़े और ना ही काटना शेष रखें।
2. करार जारी के दौरान उपनिदेशक अभियांत्रिकी को यह पूर्ण अधिकार है कि उनके इच्छानुसार सडकमार्ग, रोडसाईड फीडर लाइन्स ATU, तथा आवास गृह के आस-पास की जगह में घास कटवाने / साफ-सुथरा रखने का निर्देश दे सकते हैं, ताकि सांप / जहरीली जतुओं से राहत मिल सकें, और उन्हें यह भी अधिकार है कि आवासी सुरक्षा / आवास गृह के आस-पास का घास ट्रान्समीटर्स इमारत के आस-पास फीडर सडकमार्ग रोडसाईड में बढ़ते हुए घास को रोकने हेतु कोई अन्य उपाय भी करने का सुझाव दे सकते हैं।
3. उपनिदेशक अभियांत्रिकी के आदेश का उचित एवं कडा अनुपालन हो जिसमें किसी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार का विधिवत् हस्तक्षेप न हो। पुलिस सत्यापन के आधार पर इस कार्यालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिन श्रमिकों को प्रवेश पत्र जारी किया हो इनके अलावा ठेकेदार किसी भी अनधिकृत / अन्जान व्यक्तियों को आकाशवाणी के परिसर में प्रवेश करने न दे।
4. सरकारी संपत्ती या आकाशवाणी परिसर में संस्थापित संपत्ती को लापरवाही से नुकसान पहुँचाने पर नुकसान भरपाई का निर्धारण उपनिदेशक अभियांत्रिकी करेंगे।
5. अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार है कि निबंधन तथा शर्त के अनुशासन का उल्लघन करने पर तथा सार्वजनिक सेवाहित में यदि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी वक्त निविदा करार को समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए ठेकेदार को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि निविदा अवधि में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दर्शाए गए निबंधन तथा शर्तों का कडा अनुपालन करे।
6. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद के मामले में उपनिदेशक अभियांत्रिकी का निर्णय अंतिम रहेगा।
7. घास कटवाने के दौरान यदि किसी मजदूर को कोई भी नुकसान या दुर्घटना होती है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यह कार्यालय किसी भी दुर्घटना हेतु

जिम्मेदार नहीं होगा।

श्रीनिवास वालुंजकर

उपनिदेशक (अभियांत्रिकी)

सीमा

सहानिदेशक(अभियांत्रिकी)  
कृते

एच.पी.टी. आकाशवाणी

मलाड (प) मुंबई - 95